



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237630
CG-DL-E-28072022-237630

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3260]
No. 3260]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3422(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 58 (अ) दिनांक 5 जनवरी 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में NH9 के कि.मी. 37.200 से कि.मी.38.500 (डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर कॉम्प्लेक्स सिरसा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 18 जनवरी 2022 को "द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया और "दैनिक भास्कर " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मलोट बाईपास और डबवाली बाईपास हरियाणा राज्य के सिरसा जिले में NH9 के कि.मी. 37.200 से कि.मी. 38.500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: सिरसा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: डबवाली				
	गांव का नाम: जोगेवाला (279)				
1	165	अन्य(पंचायत)	रास्ता	0.2149905	शामलत देह खेवट नंबर 517 (165)
2	36//20	निजी	नहरी	0.0379395	लखविंदर सिंह पुत्र जरनैल सिंह, गुरवीर सिंह, अवतार सिंह पुत्र थाना सिंह और अन्य खेवट नंबर 427 (36//20)
3	36//21/2	निजी	नहरी	0.0151758	अजायब सिंह, जसकरन सिंह पुत्र तेजा सिंह और अन्य खेवट नंबर 459 (36//21/2)
4	36//22/2	निजी	नहरी	0.0025293	अजायब सिंह, जसकरन सिंह पुत्र तेजा सिंह और अन्य खेवट नंबर 459 (36//22/2)
	गांव का नाम: गांव डबवाली(278)				
5	3//20Min	निजी	नहरी	0.0050586	जगतेर सिंह पुत्र रणजीत सिंह, गुरदेव सिंह, नछत्तर सिंह पुत्र कृपाल सिंह और अन्य खेवट नंबर 1186 (3//20 मिन)
6	3//21/1Min	निजी	नहरी	0.0303516	जगतेर सिंह पुत्र रणजीत सिंह, गुरदेव

					सिंह, नछत्तर सिंह पुत्र कृपाल सिंह और अन्य खेवट नंबर 1187 (3/21/1 मिन)
7	715	अन्य(पंचायत)	रास्ता	0.4780377	अनंतिम सरकार खेवट नंबर 1847 (715)
			कुल	0.784083	

[फा. सं. 25222/NHAI/PIU/BTI/MLT-DAB BYPASS/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3422(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 58 (E) Dated 05.01.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH9 on the stretch of land from Km 37.200 to Km 38.500 (District Commissioner Complex Sirsa) in the district of SIRSA in the state of HARYANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Times Of India (E)*” and “*Danik Bhaskar (Hindi)*” both dated 18.01.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Malot Bypass and Dabwali Bypass, Brief description of the land to be acquired with or without structures falling NH9 in the stretch of land from Km. 37.200 to Km. 38.500 in the district of SIRSA in the state of HARYANA.

State: HARYANA District: SIRSA					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dabwali				
	Village: Jogewala (279)				
1	165	Common(Panchayat)	rastra	0.2149905	Shamlat Deh Khewat No. 517 165
2	36//20	Private	Nahari	0.0379395	Lakhwinder Singh S/o Jarnail Singh,

					Gurvir Singh, Avtar Singh S/o Thana Singh and Others Khewat No. 427 36//20
3	36//21/2	Private	Nahri	0.0151758	Ajaib Singh, Jaskaran Singh S/o Teja Singh and Others Khewat No. 459 36//21/2
4	36//22/2	Private	nahari	0.0025293	Ajaib Singh, Jaskaran Singh S/o Teja Singh and Others Khewat No. 459 36//22/2
Village: Village Dabwali (278)					
5	3//20Min	Private	Nahri	0.0050586	Jagter Singh S/o Ranjit Singh, Gurdev Singh, Nachatar Singh S/o Kirpal Singh and Others Khewat No. 1186 3//20 min
6	3//21/1Min	Private	Nahri	0.0303516	Jagter Singh S/o Ranjit Singh, Gurdev Singh, Nachatar Singh S/o Kirpal Singh and Others Khewat No. 1187 3//21/1 min
7	715	Common(Panchayat)	rasta	0.4780377	Provisional Govt. Khewat no. 1847 715
			TOTAL	0.784083	

[F. No. 25222/NHAI/PIU/BTI/MLT-DAB BYPASS/3D]

RAJESH GUPTA, Director